

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या:- 13/2021

दायर दिनांक:- 25.02.2021

निर्णय दिनांक:- 24.03.2021

उनवान

1. बशीर मोहम्मद पिता मुसा तुर्किया जाति मुसलमान निवासी-आकोला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. सलीम पिता मुसा जाति मुसलमान निवासी-आकोला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. नाथु पिता लच्छु जाति भील निवासी-रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. नन्दा पिता उदा जाति तेली निवासी-आकोला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. फतेहसिंह पिता निर्भयसिंह जाति बडवा निवासी-रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:-निर्णय:-

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नहीं। बार-बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा रावतिया पटवार हल्का रावतिया तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या 2414/1739, 2414/1741, 2418/2254 कुल किता 3 कुल रकबा 19 बिस्वा (0.19 हेक्टेयर) भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जाये एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



24-03-2021

(सुखाराम पिण्डेल)

सहायक कलेक्टर व

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

जिला-चित्तौडगढ



Document

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस0)

क्रमांक/राजस्व/2021/प.(13-2021)/127

दिनांक :- 24-03-2021

निमित्त,

तहसीलदार
भूपालसागर

विषय :- बाबत पत्थरगढ़ी।

1. बशीर मोहम्मद पिता मुसा तुर्किया जाति मुसलमान निवासी-आकोला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. सलीम पिता मुसा जाति मुसलमान निवासी-आकोला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
2. नाथु पिता लच्छु जाति भील निवासी-रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
3. नन्दा पिता उदा जाति तेली निवासी-आकोला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।
4. फतेहसिंह पिता निर्भयसिंह जाति बडवा निवासी-रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 13/2021

:- प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढ़ी :-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/- रुपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम रावतिया पटवार रावतिया तहसील भूपालसागर में स्थित आराजी संख्या 2414/1739, 2414/1741, 2418/2254 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 19 बिस्वा (0.19 हैक्टेयर) भूमि की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों।



Document 1

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौडगढ़ (राज.)